राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(13)न्याय/97 जयपुर, दिनांक 24-08-2023

:: परिपत्र ::

प्रायः यह देखा गया है कि विधि सेवा संवर्ग के अधिकारियों को जिला कलक्टर कार्यालय एवं अन्य विभागों द्वारा अपने पद के साथ–साथ अन्य विभागों अथवा अन्य पदों का अतिरिक्त कार्य करने के निर्देश अपने स्तर पर बिना विधि विभाग की सहमति के जारी कर दिये जाते है, जबकि विधि विभाग के अधिकारियों को उनके पदीय कर्त्तव्य के साथ–साथ अन्य पद का अतिरिक्त कार्य आवंटन करने के लिए विधि विभाग ही अधिकृत है।

अतः सभी जिला कलक्टर कार्यालयों एवं अन्य विभागों को प्रेषित कर लेख है कि विधि विभाग के अधिकारियों को उनके पदीय कर्त्तव्य के साथ–साथ अन्य पद का अतिरिक्त कार्य आवंटन करने के लिए विधि विभाग को प्रस्ताव भिजवाए जिससे विधि विभाग संबंधित अधिकारियो को नियमानुसार निर्देशित कर सके।

इसके पश्चात् भी यदि किसी विभाग द्वारा यदि विधि सेवा के अधिकारियों को अतिरिक्त कार्य के आदेश जारी किये जाते है, तो वे स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे।

(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
2. समस्त जिला कलेक्टर/जिला परिषद/नगर परिषद।
3. समस्त निदेशक/आयुक्त।
4. समस्त विभाग।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त संबंधित विभागों को प्रेषित करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

(आशुतोष कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA 2022-23\ORDER-2022.docx